बिहार सरकार
सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)
मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, 2016 नियमावली

314

पटना, दिनांक– 25/02/16

संख्या .... बिहार निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकरों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 2004 राज्य सरकार द्वारा अप्रैल, 2005 से लागू है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रमाणीकरण, विशेष उपकरण, निःशक्त छात्रों को छात्रवृत्ति, निःशक्त छात्र को शिक्षा ऋण, निःशक्त व्यक्तियों को स्वरोजगार ऋण, विशेष विद्यालयों का संचालन आदि कार्यक्रम मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के तहत क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना एवं बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन भी दिया जा रहा है। इन योजनाओं के अतिरिक्त निःशक्त व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना क्रियान्वित नहीं है।

इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने और उसे अधिक व्यापक बनाने के लिए अनुदान स्वरूप प्रोत्साहन राशि के भुगतान को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित योजना की नियमावली बनाते हैं :–

मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, 2016 नियमावली :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

(i) यह योजना "मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, 2016" के नाम से जाना जायेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह अधिसूचना के निर्गत की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगी ।

2. परिभाषा :–

इस अधिनियम के सन्दर्भ में जबतक अन्यथा अपेक्षित न हो–

(i) 'विकलांग विवाह' से अभिप्रेत है, ऐसा विवाह जो नियमावली के नियम–3 में वर्णित है।

(ii) 'प्रमाणीकृत विकलांग' से अभिप्रेत है, कि वैसे विकलांग जो चिन्हित हों तथा सक्षम चिकित्सीय पदाधिकारी द्वारा विकलांगता प्रमाण–पत्र निर्गत हो।

(iii) 'राज्य' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार।

(iv) 'नियम' से अभिप्रेत है, "मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना", 2016 के अधीन नियम।

3. भुगतान :–

(i) राज्य सरकार द्वारा निःशक्त पुरूष से विवाह करने वाली सामान्य महिला या निःशक्त महिला से विवाह करने वाले सामान्य पुरूष अथवा निःशक्त स्त्री/पुरूष से विवाह करने वाले निःशक्त स्त्री/पुरूष को प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा (Fixed Deposit) के माध्यम से रू0 50,000/– (पचास हजार रूपये) मात्र भुगतान करने का प्रस्ताव है, जिसकी अवरूद्धता अवधि (Lock-in-Period) न्यूनतम तीन वर्षों की होगी।

(ii) निःशक्त व्यक्ति से विवाह करने वाले पुरुष या महिला को अनुदान प्राप्त करने हेतु विवाह की तिथि से दो वर्ष के अन्दर आवेदन–पत्र संबंधित सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के पास समर्पित की जायगी।

(iii) योजना का लाभ विवाह की तिथि को अनुमान्य राशि के अनुरूप देय होगा।

(iv) योजना की राशि निःशक्त वर/निःशक्त वधू के खाते में जमा की जायगी। वर एवं वधू दोनों के विकल होने की स्थिति में वधू के खाते में जमा की जायगी।

4. पात्रता :–

(i) इस योजना का लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के बाद की तिथि में विवाहित व्यक्तियों को देय होगा।

(ii) इस योजना का लाभ बिहार राज्य के स्थायी निवासी या जो बिहार मे कम–से–कम 10 वर्षों से रह रहे हों, को दिया जायगा।

(iii) इस योजना के लिए निःशक्त स्त्री या पुरूष की विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होगी। प्रमाणीकृत निःशक्त व्यक्तियों को ही यह लाभ देय होगा।

(iv) इस योजना में आय की सीमा नहीं होगी।

(v) उम्र– विवाहित व्यक्तियों की उम्र पुरूष के मामले में 21 वर्ष या उससे अधिक एवं महिला के मामले में 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इससे कम उम्र के पुरूष या महिला को इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) पुरूष एवं स्त्री दोंनों के निःशक्तता की स्थिति में दोनों व्यक्तियों को योजना का लाभ अलग–अलग देय होगा।

(vii) पति या पत्नी के रहते पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद के बाद पुनर्विवाह की स्थिति में इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।

(viii) विवाहित दम्पत्ति में से वर या कन्या किसी एक को भी बिहार के निवासी होने का प्रमाण–पत्र उपस्थापित करना होगा, अन्यथा वे इस योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।

(ix) अन्तर्राजातीय विवाह के अन्तर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से इस योजना के अन्तर्गत भुगतान बाधित नहीं होगा, अर्थात निर्धारित अर्हता एवं पात्रता के अधीन किसी व्यक्ति को दोनों योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यान्वित पूर्व से अन्य योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता से भी इस योजना के अन्तर्गत भुगतान बाधित नहीं होगा।

5. अनुदान हेतु आवेदन–पत्र (प्रपत्र–1) दो प्रतियों में संलग्न संयुक्त फोटो एवं वांछित कागजातों (आवासीय, विकलांगता प्रमाण–पत्र, जन्म तिथि प्रमाण–पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण–पत्र) आदि के साथ अनुदान हेतु सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में दिया जायगा। आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र में निःशक्त वर/निःशक्त वधू जिनको राशि देय है, के गृह जिले में भरे जायेंगे।

6. प्राप्त आवेदन–पत्रों की प्राप्ति रसीद सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा आवेदनकर्त्ता को नियम–5 के अन्तर्गत दी जायगी।

7. सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संबंधित आवेदन–पत्र को जाँच एवं अनुशंसा हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अग्रसारित किया जायगा।

8. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में नियमानुसार सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा जिला पदाधिकारी से अनुदान की स्वीकृति प्राप्त की जायगी।

9. जिला पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायगा ।

10. अस्वीकृति की स्थिति में भी कारण सहित सूचना आवेदक को दी जायगी।

11. जिला स्तर पर सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग इस योजना के लिए उत्तरदायी होंगे।

12. इस योजना हेतु निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा राशि का आवंटन/RTGS सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को दिया जायेगा, जो इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

13. जिला स्तर पर सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पीड़ीत/पीड़ीता योजना से संबंधित अपील संबंधी जिला पदाधिकारी के यहाँ आदेश पारित होने के 30 दिनों के अन्दर करेंगे। इस अपील का निष्पादन अपील दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर किया जायगा। अपवाद स्वरूप इस अवधि को उचित कारणों को अंकित कर बढ़ाई जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में बढ़ाई गई अवधि 60 दिनों से अनधिक होगी।

14. अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) में पुनरीक्षित आवेदन–पत्र दायर किया जा सकेगा, जिसपर निदेशालय द्वारा जाँचोपरान्त निर्णय लिया जायेगा, जो अंतिम होगा।

15. किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध इस नियम के अधीन सदाशय से किया गया कार्य या कार्य करने की प्रवृति के विरूद्ध कोई विवाद या न्याय प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी।

16. योजना का प्रशासी विभाग, आवश्यकतानुसार समय–समय पर नियमावली में संशोधन कर सकेगा या अनुदेश निर्गत कर सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

वन्दना किनी 23/2/2016.

(वन्दना किनी)
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–1/सा0सु0 मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रो0अनु0योजना–01/2015 स0क0– 314 पटना, दिनांक– 25/02/16

प्रतिलिपिः– ई0–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 5000 प्रतियाँ समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वन्दना किनी 23/2/2016.

(वन्दना किनी)
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–1/सा0सु0 मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रो0अनु0योजना–01/2015 स0क0–314 पटना, दिनांक– 25/02/16

प्रतिलिपिः–माननीया मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सरकार पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वन्दना किनी 23/2/2016.

(वन्दना किनी)
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–1/सा0सु0 मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रो0अनु0योजना–01/2015 स0क0–314 पटना, दिनांक– 25/02/16

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वन्दना किनी 23/2/2016.

(वन्दना किनी)
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, 2016

आवेदन का प्रपत्र
(दो प्रतियों में भरा जायेगा)

संयुक्त फोटो

1. आवेदक का नाम :– ....
2. माता का नाम :– ....
3. पिता का नाम :– ....
4. विवाहित साथी का नाम :– ....
5. पूरा पताः– ग्राम/मुहल्ला :– ....

   पंचायत/नगर वार्ड .... नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत ....

   थानाः– प्रखंड :– अनुमंडलः–

   जिला :– डाकघरः– पिन कोडः–

6. लिंग :– .... 7. जन्म तिथि (आवेदक) :– .... 8. आयु (आवेदक):– ....
9. आवेदक से विवाह करने वाले स्त्री/पुरूष की जन्म तिथि तथा आयु :– ....
10. आवेदक/विवाहित व्यक्ति का विकलांगता प्रतिशत (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) :– ....
11. आधार संख्या (यदि हो) :–.................... निर्वाचन परिचय पत्र संख्याः–....................
12. सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाईल न0 :– .... ई–मेल....................
13. आवेदक का पहचान चिन्ह ....
14. मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि –

    (i) मैं योजना के अन्तर्गत लाभ पाने की पात्रता रखता/रखती हूँ।

    (ii) मैंने विकलांग पुरूष/स्त्री से विवाह किया है, जिनकी विकलांगता .... प्रतिशत है।

    (iii) मैं (नाम) .... जिला .... बिहार राज्य का/की निवासी/अधिवासी हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरणी सही है। यदि कोई व्योरा गलत/झूठा पाया जाय तो अनुदान के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाय।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान :–

तिथि :–

आवेदक के पहचान कर्त्ता का हस्ताक्षर

प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा

मैंने आवेदन में अंकित विवरणी जाँच की है और सही पाया है। अनुदान स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

.... कारण से

अनुदान स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जाती है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर

स्वीकृति पदाधिकारी का आदेश

श्री/श्रीमती...को मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, 2016 के अन्तर्गत रू0 50,000/– (पचास हजार रूपये) मात्र के अनुदान की स्वीकृति दी जाती है।

सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
का हस्ताक्षर/मुहर